>

Title: Need to check misuse of media through paid news and unfair reporting.

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): उपाध्यक्ष जी, 18 दिसम्बर, 2012 को यहाँ असादुद्दीन ओवेसी जी और लाल सिंह जी ने यह मामला उठाया था कि किस तरह से मीडिया चैनल्स पेड न्यूज़ चलाते हैं और किस तरह से वे उगाही करने के चक्कर में एक्सटॉर्शन करते हैं। उसके जवाब में माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी ने कहा था, जिसे मैं कोट करना चाहूंगा- हमारी सरकार में एक इंटरमिनीस्ट्रियल कमेटी की बैठक है और हम यह मानते हैं कि इस मामले को अपने संज्ञान में लेंगे और अपने विवेक के अनुसार जो भी उचित लगेगा, किसी निर्णय पर पहुंचेंगे।

उपाध्यक्ष जी, इस बात को एक साल से ज्यादा हो गया है और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब हम किसी को टीवी पर न्यूज़ दिखाने का लाइसेंस देते हैं तो उनको हम न्यूज़ दिखाने का लाइसेंस देते हैं या उगाही का लाइसेंस देते हैं? पुलिस भी जब किसी को बंदूक का लाइसेंस देती है और कोई व्यक्ति अगर अपनी उस बंदूक का गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी बंदूक छीन ली जाती है और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। लेकिन जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वह गलत न्यूज़ दिखाते रहते हैं और लोगों की इज्ज़त के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इज्ज़त सिर्फ महिलाओं की होती है, क्या पुरुÂषों की इज्जत नहीं होती हैं? यदि कोई हमारी इज्ज़त के साथ रोज़-रोज़ खिलवाड़ करे तो क्या सरकार को उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जहां पूरे के पूरे सबूत भी हों? इस मामले में उपाध्यक्ष जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि एक साल से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए, जिस मामले में पूफ हो। जो मीडिया चैनल पैसे की उगाही के लिए दूसरों की इज्ज़त के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके लाइसेंस कैंसल होने चाहिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल के बाकी विÂषय, अगर समय मिला तो दो से तीन बजे के दौरान लिए जाएंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार,

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय और

श्री पी.एल. पुनिया अपने को श्री नवीन जिन्दल द्वारा उठाए गए विÂषय से संबद्ध करते हैं।

â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.03 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Three Minutes past

Fourteen of the Clock.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

...(*Interruptions*)